रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255641 CG-DL-E-22072024-255641

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2758] No. 2758]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2024/आषाढ 31, 1946 NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2024/ASHADHA 31, 1946

आयुष मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

का.आ. 2895(अ).—केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 और धारा 33छ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 4562(अ) तारीख 27 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित आयुष मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबंधों के अधीन सम्पूर्ण भारत के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के संबंध में कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों के प्रभारों के लिए नियुक्त करती है, अर्थातु :--

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. रेखा जे	ओषधि निरीक्षक (आयुर्वेद)
2.	डॉ. गायत्री क्रोवेद्दी	ओषधि निरीक्षक (होम्योपैथी)
3.	डॉ.तबीता इस्थर के	ओषधि निरीक्षक (सिद्ध)
4.	डॉ. हिना अंजुम	ओषधि निरीक्षक (यूनानी)

[फा. सं. टी-11011/1/2024 डीसीसी (आयुष)]

बी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

4446 GI/2024 (1)

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 2895(E).—In exercise of the powers conferred by sections 21 and 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23vb of 1940) and in suppression of the notification of the Ministry of Ayush, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 4562(E) dated 27th September 2022, the Central Government hereby appoints the following officers of the Ministry of Ayush as mentioned under column (2) of the table below for the charge of posts as specified under column (3) of the said table for the whole of India to discharge the duties in respect of the Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945:-

TABLE

Sr. No.	Name of the officer	Designation
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Rekha J	Drug Inspector (Ayurveda)
2	Dr. Gayatri Krovvidi	Drug Inspector (Homoeopathy)
3	Dr. Tabitha Esther K.	Drug Inspector (Siddha)
4	Dr. Hina Anjum	Drug Inspector (Unani)

[F. No. T-11011/1/2024-DCC (Ayush)]

B. K. Singh, Jt. Secy.